

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 28/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि..... (अ.)- संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 8 की उपधारा (1) और धारा 21 के खंड (iv) और खंड (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के साथ पठित केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 41 के समक्ष,-

- (क) कॉलम (3) में, अंक "50", उन दोनों जगहों पर जहां-जहां यह आए हों, के स्थान पर अंक "20" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(5)
<p>“बशर्ते कि पट्टे पर दिए गए प्लाट्स का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना होगा जिसके लिए इनका आबंटन किया गया हो, अर्थात् किसी औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र में औद्योगिक या वित्तीय कारोबार हेतु:</p> <p>बशर्ते और भी कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य सरकार इसकी परिवीक्षा करेगी और उपर्युक्त शर्त को लागू करेगी:</p> <p>बशर्ते और भी कि यदि कोई उल्लंघन होता है या बाद में भू-उपयोग में कोई परिवर्तन होता है, चाहे जिस किसी भी कारण से, तो मूल पट्टाकर्ता, मूल पट्टाग्राही साथ ही साथ तदंतर का कोई भी पट्टाग्राही या क्रेता या स्वामी संयुक्त रूप से और अलग-अलग भी संघ राज्यक्षेत्र कर</p>

की उतनी राशि का भुगतान करने के लिए दायी होंगे जितनी कि यदि यह छूट न दी गई होती तो प्लाट्स को दीर्घकालीन पट्टे पर दिए जाने की स्थिति में भारत "अपफ्रंट रकम" पर देय होती, साथ ही वे देय ब्याज तथा शास्ति का भी भुगतान करने के प्रति इसी प्रकार दायी होंगे :

बशर्ते और भी कि यदि मूल पट्टाकर्ता का मूल पट्टाग्राही या तदंतर का पट्टाग्राही या उप पट्टाग्राही के साथ कोई करार होता है अथवा ऐसे प्लाट्स का तदंतर पट्टाग्राही या क्रेता या स्वामी के साथ पट्टे या बिक्री के लिए बाद में कोई पट्टा या बिक्री का करार होता है तो ऐसे करार की शर्तों में यह भी उल्लेख होगा कि मूल पट्टाग्राही को मूल पट्टाकर्ता द्वारा प्लाट्स को दीर्घकालीन पट्टे पर दिए जाने पर संघ राज्यक्षेत्र कर से छूट उपर्युक्त शर्त के अधीन प्रदान की गई थी और उक्त करार के पक्षकार उक्त शर्त का अनुपालन करने का वचन देते हैं ।”.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/204/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, सा.का.नि 735 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है ।